

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर
(जी-3, राजमहल रेजीडेन्शियल एरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, जयपुर)
क्रमांक : प.1(क)(03)कार्मिक / आर.एम.एस. / डी.एल.बी. / 14 / 16661 दिनांक : 16-12-16

आदेश

सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर को अपने पद के कार्य के साथ-साथ आयुक्त, नगर परिषद, अलवर के रिक्त पद का कार्य करने हेतु निर्देशानुसार अधिकृत किया जाता है।

अतिरिक्त निदेशक

क्रमांक:प.1(क)(03)कार्मिक / आर.एम.एस. / डी.एल.बी. / 14 / 16662-669 दिनांक : 16-12-16

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. विशिष्ट सहायक, मा0 मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
03. जिला कलेक्टर, अलवर।
04. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
05. सभापति / आयुक्त, नगर परिषद, अलवर।
06. सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर।
07. सुरक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक